न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **171/2018**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
तारादेवी पत्नी अभयदान के वारिसान– 1– चावण्डदान पुत्र स्व0 अभयकरण 2– अशोक कुमार पुत्र स्व0 अभयकरण 3– किशन सिह पुत्र स्व0 अभयकरण जातियान चारण निवासी खिनावडी, तहसील जैतारण जिला पाली		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश कमांक/राजस्व/2016/810 दिनांक 23–12–2016 उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से ।

राजस्व अपील संख्या **262/2018**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– सोहनलाल पुत्र भोलाराम 2– मांगीलाल पुत्र भोलाराम 3– केसाराम पुत्र गीगाराम 4– भेराराम पुत्र धोकलराम 5– मोहनराम पुत्र मंगलाराम 6– सायरी पत्नी भोलाराम सभी जातियान कुम्हार निवासी खिनावडी तहसील जैतारण, जिला पाली		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण, जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश कमांक/राजस्व/2016/810 दिनांक 23–12–2016 उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 21–7–2022

उक्त दोनो अपीले अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित किये गये आदेश कमांक/राजस्व/2016/810 दिनांक 23–12–2016 जो गांव खिनावडी के खसरा नंबर 80 व 180 की भूमि के संबंध मे है, के विरूद्ध पृथक पृथक अपीलांटगण द्वारा दो अपीले प्रस्तुत की गई होने से उक्त दोनो अपीलो का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है । दोनो पत्रावलियो मे मूल आदेश की प्रति नत्थी की जावे ।

को नोटिस जारी नही किया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा नंबरान 180 एवं 80 के किसी खातेदार ने रास्ते बाबत कोई आवेदन नही किया था, अपनी मनमर्जी से प्रकरण बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि किसी भी खातेदार को उसके खातेदारी भूमि से इस तरह के आदेश के जरिये वंचित नही किया जा सकता है एवं न उसकी भूमि की किस्म बदली जा सकती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से भूमि की किस्म बदल कर रास्ता दर्ज कर दिया गया है जिससे भविष्य मे कई तरह के नये विवाद उत्पन्न होंगे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व विभाग के जिस परिपत्र को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उस परिपत्र की ऐसी कोई मंशा नही है एवं उसमे न ऐसे कोई निर्देश है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि कोई भी परिपत्र कानून के मूल आधार से बाहर जाकर जारी नही किया जा सकता है, वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251 मे पहले से है तो इस तरह के परिपत्र का कोई महत्व नही है तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र को ठीक से समझा ही नही, उक्त परिपत्र केवल सार्वजनिक रास्तो के संबंध मे लागू होता है जबकि वर्तमान मामले मे कोई रास्ता है ही नही इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मे अधीनस्थ न्यायालय मे जिस परिपत्र का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना को नष्ट करने वाला परिपत्र है तथा कथन किया कि ऐसे परिपत्र की कानून मे कोई अहमियत नही है एवं प्रशासनिक स्तर पर जारी किये गये इस तरह के परिपत्र से खातेदार को उसके अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त दोनो ही अपीलो को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/2016/810 दिनांक 23–12–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रास्तो की समस्याओ के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर चलाये गये अभियानो मे जारी किये गये दिशा निर्देशो जिनमे ऐसे कदीमी रास्ते जो वर्षो से रास्ते के रूप मे सार्वजनिक

के समक्ष तहसीलदार जैतारण की ओर से पटवार मण्डल फुलमाल के राजस्व ग्राम खिनावडी मे चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने उनके समक्ष प्रस्तुत हुए प्रस्ताव अनुसार जो अपीलाधीन आदेश कमांक/राजस्व/2016/810 दिनांक 23–12–2016 पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील का खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया । जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित आदेश कमांक राजस्व/2016/810 दिनांक 23–12–2016 के कम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दोनो अपीलो के पक्षकारान एवं हितबद्ध खातेदारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार करवाया जावे । तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। मौके पर चल रहे कदमी रास्ते को बंद नही किया जावे संबंधित तहसीलदार नियमानुसार इसकी सुनिश्चितता करे। उक्त निर्देशो के साथ उक्त दोनो अपीलो का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पटवार जैतारण की ओर से पटवार मण्डल फुलमाल के राजस्व

के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने के प्रस्ताव प्रेषित

ने उनके समक्ष प्रस्तु